ऑस्ट्रेलियाई दान

और लाभ-निरपेक्ष संस्थाओं के आयोग के बारे में जानकारी

ऑस्ट्रेलियाई दान और लाभ-निरपेक्ष संस्था आयोग (एसीएनसी) दान संस्थाओं के लिए राष्ट्रमंडल का स्वतंत्र नियामक है|

एसीएनसी दान-सँस्थाओं का पंजीकरण करता है व उनके काम को प्रोत्साहित करने और उसके प्रति जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ काम करता है।

आपकी भाषा में जानकारी

अगर आप अपनी भाषा में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर कॉल करके एसीएनसी से संपर्क करें।

दान-सँस्था क्या होती है?

कई संगठन समुदाय की मदद करने के लिए काम करते हैं। इनमें से केवल कुछ ही संगठन दान-सँस्थाएं होते हैं। दान-सँस्था शब्द का एक विशेष कानूनी अर्थ होता है।

यदि आपका संगठन जनता के हित के लिए काम करता है, न कि लाभ के लिए, और अगर यह निम्नलिखित के लिए कार्यरत है:

- स्वास्थ्य के संवर्धन
- शिक्षा के संवर्धन, या
- कोई और लाभदायक सामुदायिक कारण

तो यह एक दान-सँस्था हो सकता है।

दान-सँस्थाओं के उदाहरण में कुछ धार्मिक समूह, वृद्ध देखभाल-गृह, विकलांगता सेवा संगठन, पशु-कल्याण सँस्थाएं, कलात्मक या सांस्कृतिक समूह या पर्यावरण-संरक्षण समूह शामिल हैं।

हम क्या करते हैं

एसीएनसी:

- दान-सँस्थाओं का पंजीकरण करता है
- दान-सँस्थाओं को जानकारी, सलाह, मार्गदर्शन और अन्य सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अपने दायित्वों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद देता है
- ऑनलाइन और सार्वजनिक एसीएनसी रजिस्टर का रख-रखाव करता है, जो दान-सँस्थाओं के बारे में जानकारी की सूची प्रदर्शित करता है
- सरकार को सूचना-रिपोर्ट देने हेतु दान-सँस्थाओं के लिए एक अधिक सरल रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है।

दान-सँस्थाओं के लिए नए एसीएनसी का क्या अर्थ है

एसीएनसी के साथ पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है, लेकिन Australian Taxation Office (ATO) से दान कर रियायतें और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल लाभ प्राप्त करने से पहले आपकी दान-सँस्था को एसीएनसी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। एसीएनसी पंजीकरण का प्रबंधन करेगा और ATO कर रियायतों का प्रशासन जारी रखेगा।

यदि आपके संगठन को 3 दिसम्बर 2012 से पहले ATO द्वारा एक दान-सँस्था के रूप में अनुमोदित किया गया था, तो इसे स्वतः ही एसीएनसी के साथ पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध एसीएनसी रजिस्टर में यह देख सकते हैं कि क्या आपकी दान-सँस्था पंजीकृत है या नहीं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

दान-सँस्थाओं के लिए पंजीकरण का क्या अर्थ है

एसीएनसी के साथ अपनी दान-सँस्था को पंजीकृत कराने के कई लाभ हैं। इनमें शामिल हैं:

- ATO से राष्ट्रमंडल दान-सँस्था कर रियायतों के लिए आवेदन करने की पात्रता
- राष्ट्रमंडल कानून के तहत अन्य रियायतें, छूट या लाभ प्राप्त करना
- ऑस्ट्रेलिया में एक पंजीकृत दान-सँस्था के रूप में मान्यता, और
- एसीएनसी रजिस्टर में एक नि:शुल्क ऑनलाइन उपस्थिति।

यदि आपकी दान-सँस्था एसीएनसी के साथ पंजीकृत है, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होंगी, जैसे रिकॉर्ड रखना, हमें आँकड़ों की रिपोर्ट देना और दान-सँस्था के विवरण में कोई परिवर्तन होने पर हमें इसकी जानकारी देना। वैबसाइट charity.acnc.gov.au देखें।

पंजीकरण कैसे करें

आप अपनी दान-सँस्था का पंजीकरण acnc.gov.au पर कर सकते हैं। आपको एक ऑस्ट्रेलियाई व्यापार संख्या (एबीएन) की आवश्यकता होगी। पंजीकरण में आपको सहायता देने के लिए वेबसाइट पर आपको क्रमशः सब जानकारी मिलेगी।

यह आरंभ करने से पहले आपको कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जिसमें आपके संगठन के विवरण (जैसेकि उसका एबीएन), आपके संगठन के कार्यों व सँस्थापना का विवरण देने वाले दस्तावेज, वित्तीय जानकारी (जैसे बिक्री, दान के रूप में आय और व्यय) और आपके बोर्ड या प्रबंधन समिति के सदस्यों (जिम्मेदार व्यक्ति) के विवरण शामिल हैं।

कर रियायत के बारे में और अधिक जानकारी

आप एक ही पंजीकरण-फार्म पर कर रियायतों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ATO कर रियायतों के लिए एक विस्तृत गाइड (अंग्रेजी में) उपलब्ध कराता है, जिसका शीर्षक 'Tax basics for non profit organisations' है। आप ATO की वेबसाइट ato.gov.au पर 'NAT 7966' की खोज करके यह गाइड प्राप्त कर सकते हैं।

हमसे संपर्क करें

एसीएनसी से संपर्क करने के कई तरीके हैं:

वेबसाइट: acnc.gov.au

ई-मेल: advice@acnc.gov.au

फोन: 13 22 62 (अंग्रेजी में)
13 14 50 (अन्य भाषा में)

फैक्स: 1300 232 569

डाक: GPO Box 5108
Melbourne, VIC 3001

सामाजिक मीडिया:

Twitter YouTube Facebook

© प्रकाशनाधिकार 2012

आप इस सामग्री खी अपनी इच्छानुसार प्रतिलिपि बनाने व अनुकूलन करने, संशोधित करने, संचरित करने और वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं (लेकिन ऐसी किसी भी तरह से नहीं है जिससे कि यह प्रतीत हो कि ACNC या राष्ट्रमंडल आपको या आपके किन्हीं उत्पादों या सेवाओं का अनुमोदन करता है)।